1

मुख्य क्रियाकलाप

प्रस्तावना

1.1 श्रम मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है । इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर, उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य-वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन कर्मकारों के हितों की रक्षा करना है जो समाज के वंचित, उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों के हैं । मंत्रालय का अन्य कार्य विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मकारों के कौशल को उन्नत बनाना है । इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन एवं क्रियान्वयन से प्राप्त किया जाता है जो कर्मकारों की सेवा एवं नियोजन की शर्तों को विनियमित करता है । राज्य सरकारें भी विधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है ।

त्रिपक्षीयता के लोकाचार एवं संस्कृति को अपनाकर कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए विधायी नीतिगत व कार्यक्रम संबंधी अनेक कदम उठाए गए हैं । इस संबंध में वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्नवत हैं :

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग

1.2 सरकार को 29.6.2002 को प्रस्तुत द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (एन सी एल) की रिपोर्ट में श्रम कानूनों की समीक्षा, बाल एवं महिला श्रम, कौशल विकास, श्रम प्रशासन, असंगठित क्षेत्र आदि जैसे श्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक सिफारिशें की गई हैं । मंत्रालय ने पहले ही कामगारों के प्रतिनिधियों, नियोजक संगठनों, विशेषज्ञों एवं व्यावसायिकों आदि के साथ गहन परामर्श और आपसी विचार-विमर्श किए हैं । आयोग की रिपोर्ट पर दिनांक 07.02.2003 और 30.4.2003 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठकों, दिनांक 25 जुलाई, 2003 को आयोजित स्थायी श्रम समिति की बैठक और दिनांक 16-18 अक्तूबर, 2003 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक सहित विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है ।

वर्ष 2003-2004 के दौरान त्रिपक्षीयता को सुदृढ़ करना

1.3 श्रम मंत्रालय, देश में सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करता रहा है । त्रिपक्षीयता के लोकाचार और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध सरकार इसे और सुदृढ़ करने के उपाय करती रही है । मंत्रालय नए कानूनों को बनाने अथवा मौजूदा कानूनों में परिवर्तन लाने के लिए आम सहमति बनाने हेतु सभी सामाजिक भागीदारों से परामर्श करता रहा है । मंत्रालय का उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग के लिए नीतियां बनाने में सभी सामाजिक भागीदारों से विचारों को महत्व देना है । तदनुसार, श्रम मंत्रालय ने वर्ष के दौरान विभिन्न समितियों/बोर्डों की अनेक त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित कीं जिनमें अन्यों के साथ-साथ दिनांक 25.07.2003 को आयोजित स्थायी श्रम समिति का 39वां सत्र, दिनांक 17.09.2003 को आयोजित व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी त्रिपक्षीय सम्मेलन, दिनांक 18.09.2003 को आयोजित श्रम एवं स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन, 16-18 अक्तूबर, 2003 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन का 39वां सत्र और दिनांक 19.12.2003 व 13.02.2004 को दो बार आयोजित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक शामिल हैं ।

औद्योगिक संबंध

1.4 सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध की स्थिति बनाए रखना श्रम मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है । केन्द्रीय एवं राज्य दोनों औद्योगिक संबंध तंत्रों के लगातार प्रयासों से समग्र औद्योगिक संबंध माहौल शान्तिपूर्ण एवं समरस बना रहा । हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हड़तालों एवं तालाबंदियों तथा इसके कारण नुकसान हुए श्रम दिवसों की संख्या में अन्तर रहा है । तथापि, पिछले दस वर्षों अर्थात् 1994 से 2003 (अनन्तिम) के दौरान हड़ताल एवं तालाबंदियों की संख्या 1201 से घटकर 489 हुई है परन्तु इससे नुकसान हुए श्रम दिवस 20.98 मिलियन से बढ़कर 21.78 मिलियन हुए हैं ।

1.5 इसी प्रकार, हड़तालों एवं तालाबंदियों और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त/प्रभावित की संख्या का स्थान-वार/उद्योग-वार विवरण एक समान नहीं है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे । उद्योग समूहों में वस्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन और कोयला खनन में हड़तालों एवं तालाबंदियों की अधिक संख्या दर्ज की गई ।

1.6 मौजूदा न्याय निर्णयन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पांच नए केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय दिल्ली, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी एवं चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं । इस मंत्रालय ने औद्योगिक विवादों के लम्बित रहने की स्थिति को कम करने हेतु केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों की न्याय-निर्णयन प्रणाली में एक वैकल्पिक विवाद निपटान तन्त्र के रूप में लोक अदालत प्रणाली भी शुरू की है । अब तक 22 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं और उनमें 271 मामले निपटाए गए ।

मणिसाना वेतन बोर्ड

1.7 सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग में नियोजित पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों के लिए मणिसाना वेतन बोर्ड के पंचाट में कुछ मामूली संशोधनों के साथ उसे स्वीकार कर लिया है, जिससे समाचार-पत्र उद्योग में नियोजित पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों के वेतन ढांचों एवं भत्तों में अच्छा-खासा सुधार हुआ है ।

1.8 इस पंचाट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राज्य और संघशासित प्रशासनों को पंचाट के कारगर क्रियान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समितियां/क्रियान्वयन प्रकोष्ठों का गठन करने और तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है । इसके अलावा, पंचाटों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर की एक अनुवीक्षण समिति भी गठित की गई है । बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)अपने क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) के माध्यम से इन पंचाटों के कारगर क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों से सम्पर्क रखेंगे । क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) को शामिल किए जाने से बेहतर परिणाम आए हैं ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

1.9 दिनांक 16-18 अक्तूबर, 2003 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 39वें सत्र में निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया :-

- द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट - श्रम कानूनों एवं असंगठित श्रम के यौक्तिकीकरण पर जोर ।
- बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के श्रम बल की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित सामाजिक सुरक्षा मुद्दे ।

➢ रोजगार सृजन, रोजगार संरक्षण और कौशल क्षेत्र का उन्नयन-रोजगार सृजन पर एस.पी. गुप्ता रिपोर्ट पर विशेष बल के साथ।

1.10 निर्णय का सार निम्नवत है :-

(i) कौशल विकास, कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर भी वार्षिक रोजगार तैयार किये जाने, रोजगार कार्यालयों का कायाकल्प किये जाने आदि पर आम राय थी । असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये एक रोजगार सुरक्षा निधि के सृजन और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा की विद्यमान योजनाओं के और अधिक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गयी ।

(ii) भारतीय श्रम सम्मेलन ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये व्यापक विधान की आवश्यकता की सर्वसम्मति से सिफारिश की । इसके अतिरिक्त, इसने सामाजिक सुरक्षा नीतियों एवं योजनाओं आदि को विकसित करने, उनकी निगरानी करने एवं उनके समन्वय के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त तथा बहु-पणधारी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद् की स्थापना करने की सिफारिश की । इसने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ।

(iii) श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाये जाने के संबंध में, सामाजिक भागीदारों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये और इस संबंध में कोई मतैक्य नहीं हो सका ।

कमजोर वर्ग

बाल श्रमिक

1.11 भारत ने बाल श्रम की समस्या के उन्मूलन के लिये अपेक्षित संवैधानिक, सांविधिक तथा विकासात्मक उपाय करके इसका निराकरण करने के मामले में निरन्तर सकारात्मक नीति का अनुसरण किया है । राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत, लगभग 2.11 लाख कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिये 13 बाल श्रम बहुल जिलों में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप रोजगार से हटाये गये बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार,

वज़ीफा, स्वास्थ्य देख-रेख आदि मुहैया कराने के लिये विशेष स्कूलों की स्थापना करना है । अभी तक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के विशेष स्कूलों से 1.87 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा के अंतर्गत लाया गया है। दृढ़निश्चयी एवं केन्द्रित प्रयास के द्वारा खतरनाक व्यवसायों से बाल श्रम के उन्मूलन तथा अन्य व्यवसायों से इसके सम्पूर्ण उन्मूलन के लिये उत्तरोत्तर अभियान के द्वारा क्रमिक रूप से इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है । इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अनेक गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं ।

1.12 दसवीं योजना के दौरान विद्यमान 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को जारी रखने के अलावा, सरकार ने 10वीं योजना के दौरान बाल श्रम बहुल जिलों में 150 अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है । अतिरिक्त 50 जिलों में विस्तारित योजना जनवरी, 2004 में पहले ही शुरू कर दी गयी है और राज्यों से इन 50 चिह्नित0 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं संचालित करने का अनुरोध किया गया है । शेष 100 जिलों में, 2001 की जनगणना रिपोर्ट, जिस पर कार्रवाई चल रही है, के आधार पर अतिरिक्त 100 जिलों की पहचान करने के पश्चात् शेष 100 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया जायेगा । सरकार ने मि.आर्नोल्ड, लेविन, उप-अवर सचिव, अमेरिकी श्रम विभाग एवं केरी टेपिओला, कार्यकारी निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत आगमन के दौरान दिनांक 16.02.2004 को इंडो-यू.एस. (इंडस) बाल श्रम परियोजना भी प्रारम्भ की है ।

महिला श्रमिक

1.13 सरकार, महिला कामगारों की कामकाजी दशाओं में सुधार लाने के लिये कृतसंकल्प है । इस दिशा में, कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं । साथ ही, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इन दिशा-निर्देशों को कड़ाई से क्रियान्वित करने के लिए अनुदेश दे दिये गये हैं । इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू आचार नियमावली में हाल ही में संशोधन किया गया है । इन दिशा-निर्देशों को निजी क्षेत्र में कर्मचारियों पर भी लागू करने के लिये औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में भी संशोधन किया गया है।

1.14 मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मई, 1978 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम चला रहा है । इस स्कीम के अंतर्गत, मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को 20,000/-रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जिसका केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है। सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में बंधुआ श्रमिकों का जिलावार सर्वेक्षण कराने, जागरूकता सृजन और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान भी मुहैया कराया जाता है । वर्ष 2003-04 के दौरान 250 लाख रुपये की संपूर्ण धनराशि का 2268 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए उपयोग कर लिया गया है ।

सामाजिक सुरक्षा

1.15 सरकार ने कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान अधिनियमित किये हैं । इस संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 ; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1972 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 महत्वपूर्ण हैं । इन अधिनियमों के अंतर्गत कामगारों को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिये हाल ही में अनेक पहलें की गयी हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :-

- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की न्यूनतम धनराशि को 8.12.2000 से मृत्यु के मामले में 50,000/- रुपये से बढ़ाकर 80,000/- रुपये और स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में 60,000/- से बढ़ाकर 90,000/- रुपये कर दिया गया है। इसी तिथि से, क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि की अधिकतम सीमा को दुगना अर्थात् मृत्यु के मामले में 2.28 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.56 लाख रुपये तथा स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में 2.74 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.48 लाख रुपये कर दिया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

1.16 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में अनुसूचित उद्योगों में 20 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में अनिवार्य पेंशन निधि, पेंशन एवं जमा संबद्ध बीमा का

प्रावधान है । इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है । उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं :-

- भविष्य निधि, परिवार पेंशन एवं जमा संबद्ध बीमा संबंधी लाभों का दायरा जो 31.03.1998 की स्थिति के अनुसार 2.31 करोड़ अंशदाता था वह 31.03.2003 तक बढ़कर लगभग 3.95 करोड़ अंशदाता हो गया है ।
- प्रत्येक कामगार को एक राष्ट्रीयकृत विशिष्ट संख्या दी जायेगी । इस योजना को दिनांक 25.02.2003 को 'रीइन्वेंन्टिंग - ई पी एफ इंडिया' कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया था ताकि दावा निपटान की अवधि को 30 दिन से घटाकर केवल 2-3 दिन किया जा सके ।
- कर्मचारी भविष्य निधि देयों की वसूली की गति में तेजी लाने के लिये एक नये वसूली निदेशालय का अनुमोदन किया गया है ।
- 26000 डाकघरों के माध्यम से पेंशन के वितरण की अतिरिक्त सुविधाएं शुरू की गयी हैं ताकि उन कामगारों को लाभ दिया जा सके जो अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् ग्रामीण अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित अपने पैतृक स्थानों पर वापस चले जाते हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1.17 रुग्णता, प्रसूति एवं रोजगार जनित चोटों के मामले में स्वास्थ्य देख-रेख तथा नकद लाभों की व्यवस्था करने के लिये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में वर्ष 1948 में संशोधन किया गया था । कर्मचारी राज्य बीमा निगम वर्ष 1952 में प्रारम्भ की गयी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है । इसकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के नेटवर्क में 142 अस्पताल, 43 सौंध एवं 1452 औषधालय, 2900 क्लिनिक तथा 840 स्थानीय कार्यालय हैं जिनमें 3.12 करोड़ लाभार्थियों को सुविधा दी जा रही है ।
- 150 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से 16 बड़े राज्यों में से प्रत्येक में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का एक आदर्श अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा ।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिये मजदूरी की अधिकतम सीमा दिनांक 01.04.2004 से 6500/-रुपये से बढ़ाकर 7500/- रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है ।
- विशेषज्ञता वाले उपचार के लिये 40 करोड़ रुपये की एक चक्रीय निधि का सृजन किया गया है ।
- 40/-रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी प्राप्त करने वाले 6 लाख अल्प आय लेने वाले कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंशदान से छूट प्रदान की गयी है ।
- चार और दीर्घकालिक बीमारियों को पात्रता हेतु 29 चिरकालिक बीमारियों की सूची में जोड़ दिया गया है ।
- प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिये चिकित्सा लाभों की अधिकतम सीमा को 600/- रुपये से बढ़ाकर 700/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- प्रसूति लाभ को 250/- रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिया गया है ।
- आंशिक विकलांगता लाभ के संराशीकरण की अधिकतम सीमा 10,000/-रुपये से बढ़ाकर 30,000/-रुपये प्रतिवर्ष कर दी गयी है ।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

1.18 एक प्रमुख नीतिगत निर्णय के रूप में मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में उन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है जो देश में 400 मिलियन सुदृढ़ श्रम बल का लगभग 92 प्रतिशत बैठते हैं । प्रारम्भ में, सरकार ने देश में 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये दिनांक 23.01.2004 से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की । इसके वित्तपोषण का प्रतिरूप, लाभ तथा अंतर्ग्रस्त संस्थाओं का सार निम्नवत् है :-

- सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में 6500/- रुपये प्रतिमाह तक वेतन/मजदूरी/आय प्राप्त करने वाले असंगठित क्षेत्र के सभी कामगार आएंगे । इस योजना को 18-35 वर्ष के आयु वर्ग वाले कामगारों से 50/- रुपये प्रतिमाह और 36-50 वर्ष के आयु वर्ग वाले कामगारों से 100/-रुपये प्रतिमाह की दरों पर कामगारों के अंशदान से वित्तपोषित किया जायेगा । जहां कहीं नियोजकों की पहचान हो सके, वहां उनका अंशदान 100/-रुपये प्रति कामगार और सरकार का अंशदान कामगार की मासिक मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की दर से होगा ।
- इस योजना में कामगारों के लिये तिहरे लाभों का प्रावधान है, अर्थात् -

(i) 60 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होने एवं पूर्ण विकलांगता होने पर 500/- रुपये की रजिस्टर्ड पेंशन तथा कामगार की मृत्यु होने के मामले में परिवार पेंशन ।

(ii) एक लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा संरक्षण ; और

(iii) किसी कामगार और उसके पांच सदस्यों के परिवार के लिए 548 रु.- प्रति वर्ष या तीन सदस्यों के परिवार के लिए 365/-रु. प्रति वर्ष की लागत पर सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना की अनुररूपता ।

- क.भ.नि. संगठन द्वारा उपलब्ध बाजार मध्यस्थों जैसे कामगार सुविधा केन्द्रों, पंचायती राज संस्थाओं जैसे सुविधा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्व सहायता समूहों, विनिर्दिष्ट बैंकों की शाखाओं और डाक घरों का उपयोग करते हुए कवरेज, अनुपालन, पंजीकरण, रिकार्ड कीपिंग और लाभ निर्गम का कार्य किया जाएगा ।

न्यूनतम मजदूरी

1.19 केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की 19.12.2003 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर 1.2.2004 से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 50/-रु. से बढ़ा कर 66/- रु. प्रति दिन कर दी गई है । सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी 66/- रु. प्रति दिन से कम न हो ।

श्रम कल्याण निधियां

1.20 मंत्रालय ने बीड़ी, गैर-कोयला खान और सिने कामगारों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं में और सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । कल्याण योजनाओं का जोर स्वास्थ्य सैक्टर पर है क्योंकि लक्षित समूह स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाले व्यवसायों से संबंधित है । पात्रता की अधिकतम सीमा में संशोधन करके चूनापत्थर और डोलोमाइट खान कामगारों के लिए 26.2.2001 से 6500/-रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000/- रु. प्रतिमाह, बीड़ी कामगारों के लिए अप्रैल, 2003 के दौरान 3500/- रु. से बढ़ाकर 10,000/-रु. प्रतिमाह और सिने कामगारों के लिए 2.9.2002 से 1600/- रु. से बढ़ाकर 8,000/-रु. कर दी गई है ताकि आवास योजना के अलावा विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें । बीड़ी कामगार कल्याण निधि की कोर्पस 21 करोड़ रु. से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दी गई है जिससे और अधिक कल्याण कार्यकलाप चलाए जा सकें ।

भारतीय उत्प्रवासी कामगार कल्याण निधि

1.21 ठेकागत आधार पर रोजगार हेतु विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन करते हुए एक केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय उत्प्रवासी कामगार कल्याण निधि का गठन करने के लिए 21.11.2002 को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था । माननीय प्रधानमंत्री ने 9.1.2003 को आयोजित प्रथम "प्रवासी भारतीय दिवस" के अवसर पर रोजगार हेतु विदेश जाने वाले उत्प्रवासियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना की घोषणा की थी । इस घोषणा के अनुसरण में, "प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2003" नामक एक अनिवार्य बीमा योजना 13.11.2003 को अधिसूचित की गई है । यह योजना 25.12.2003 से प्रभावी हुई है ।

श्रम कानूनों में संशोधन

1.22 श्रम कानूनों को अर्थव्यवस्था की विद्यमान स्थिति और उभर रही जरूरतों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा/अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है । भारतीय उद्योग को दक्ष बनाने, कम लागत वाला और वैश्वीकरण प्रक्रिया के मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में श्रम कानूनों में सुधार हाल के वर्षों में अति आवश्यक हो गए हैं । मंत्रालय, ने कतिपय श्रम कानूनों

में संशोधन के लिए कदम उठाए हैं । श्रम सुधार के क्षेत्र में वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

कारखाना अधिनियम, 1948

1.23 कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2003 लोकसभा में 29.07.2003 को पेश किया गया था । इस विधेयक में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि महिलाओं को सुरक्षा, प्रतिष्ठा, सम्मान और कारखाना स्थल से उनके घर के नजदीक किसी स्थान तक परिवहन व्यवस्था हेतु पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हुए रात्रि में उनके नियोजन के मामले में लचीलापन प्रदान किया जा सके । इस विधेयक को जांच और रिपोर्ट हेतु श्रम और कलाण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 27.8.2003 को भेजा गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर 24.12.2003 को संसद के पटल पर रख दिया था । समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983

1.24 केन्द्र सरकार को एक केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद और एक उत्प्रवासी कामगार कल्याण निधि का गठन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए 21.11.2002 को लोक सभा में उत्प्रवास संशोधन विधेयक, 2003 पेश किया गया था । यह विधेयक जांच और रिपोर्ट हेतु श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और 16.12.2003 को संसद के पटल पर रख दिया था । समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

1.25 न्यायालय के निर्णयों और सामाजिक भागीदारों से प्राप्त फीडबैक के परिणामस्वरूप किसी प्रतिष्ठान के कतिपय कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के रूप में ठेका श्रम के हितों का संरक्षण करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा ठेका श्रम पर एक नया कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया था ।

1.26 माननीय प्रधानमंत्री ने इन प्रस्तावों को मंत्रीमंडल के समक्ष रखे जाने से पहले इनकी जांच हेतु एक मंत्रियों के दल का गठन किया था । विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संशोधन प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करने का अनुरोध किया गया है, जिसे अंतिम रूप देने हेतु मंत्रियों के दल के समक्ष रखा जाएगा ।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

1.27 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में विसंगतियां दूर करने और मजदूरी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के लिए संशोधन विधेयक 1.05.2002 को राज्य सभा में पेश किया गया था, जिसे श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था । स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और 21.11.2002 को संसद के पटल पर रिपोर्ट रख दी है । समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है और विधि एवं न्याय मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं । विधेयक में एक सरकारी संशोधन करने हेतु प्रस्ताव मंत्रीमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टरों का रखरखाव करने से छूट) अधिनियम, 1988

1.28 केन्द्र सरकार श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठनों को विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टरों का रखरखाव करने से छूट) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि 500 व्यक्तियों तक का नियोजन करने वाले उद्यमों में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निर्धारित विवरणियों और रजिस्टरों के प्रारूपों को सरल बनाया जा सके । प्रस्ताव के अंतर्गत कार्य स्थल पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और केवल दो रजिस्टर रखने होंगे । इसमें कम्प्यूटर पर रजिस्टर बनाने और ई-मेल के माध्यम से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान भी रखा गया है ।

पुरस्कार

1.29 माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2002 और 2003 के लिए 25.4.2003 को एक महिला सहित 37 कर्मकारों को प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार वितरित किए । ये पुरस्कार उत्पादन एवं उत्पादकता वितरित किए । वर्ष 2002 और 2003 के लिए पुरस्कारों की घोषणा क्रमशः 25 जनवरी, 2003 और 14 अगस्त, 2003 को की गई थी । पुरस्कारों की संख्या भी बढ़ाकर 17 से 33 कर दी गई है । इसके अलावा श्रम वीर के साथ श्रम वीरांगना का भी एक पुरस्कार शुरू किया गया है ।

1.30 वर्ष 2004 से, 500 से अधिक कामगार नियोजित करने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों को भी प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कारों के दायरे में लाया जाएगा ।

1.31 वर्ष 2001 और 2002 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वी आर पी) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एन एस ए) केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा 17 सितम्बर, 2003 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वितरित किए गए । कुल मिलाकर तीन वर्गों के अंतर्गत 38 और 58 विजेताओं को क्रमशः वर्ष 2001 और 2002 के लिए 18 पुरस्कार प्रदान किए गए ।

1.32 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार कर्मकार अथवा कर्मकार समूह द्वारा दिए गए उत्कृष्ट सुझावों तथा उन्हें गतवर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप उत्पादकता तथा कार्य दशाओं जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं औद्योगिक निकाय में पर्यावरण संरक्षण आदि में सुझाव स्कीम के कार्यालय के कारण सुधार हुआ हो, के लिए दिए जाते हैं ।

1.33 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एन एस ए), औद्योगिक निकायों एवं पत्तनों के मामलों में दुर्घटना बचाव कार्यक्रम, सुरक्षा अनुपालन में प्रबंधन एवं कर्मकारों दोनों की रुचि बनाए रखने और प्रेरित करने की मान्यता स्वरूप दिए जाते हैं । ये पुरस्कार कारखानों को 6 स्कीमों और पत्तनों के लए दो स्कीमों के अंतर्गत दिए जाते हैं । इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2001 के लिए कुल 73 और वर्ष 2002 के लिए 74 पुरस्कार दिए गए थे ।

श्रम सांख्यिकी, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा

सांख्यिकी

1.34 नीतिगत निर्णय लिए जाने के लिए श्रम संबंधी कार्यस्थलों के विभिन्न तथ्यों से संबंधित यथेष्ट, सामाजिक एवं विस्तृत आंकड़ों तथा अनुसंधान के महत्व पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है । औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कामगारों, सरकारी कर्मचारियों आदि का महंगाई भत्ता नियत करता है, फिलहाल उसे दो दशक पुराने आधार 1982 के साथ संकलित किया जा रहा है । आधार वर्ष को अद्यतन करने के लए सभी चुनिन्दा 78 केन्द्रों से आय एवं व्यय संबंधी आंकड़ों के संग्रहण के लिए मुख्य सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के सारणीयन का कार्य पूरा हो गया है एवं पुनरावृति मकान किराया सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र कार्य प्रगति पर है। नई श्रंखलाएं 2004 के मध्य तक उपलब्ध होने की संभावना है ।

1.35 श्रम ब्यूरो की वेबसाइट http://www.labourbureu.nic.in और सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित कर ली गई है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है । श्रम सांख्यिकी पर एक केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है ।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

1.36 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम बाजार, रोजगार एवं विनियोग, कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रमिक, एकीकृत श्रम इतिहास, बाल श्रम और कार्यस्थल पर एच आई वी/एड्स निवारण क्षेत्रों में 13 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं । लगभग 32 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं । संस्थान ने 95 प्रशिक्षण भी आयोजित किए जिसमें 2532 प्रतिभागियों ने भाग लिया । 03 नियमित प्रकाशनों के अलावा,

संस्थान ने अनुसंधान अध्ययनों के बारे में सामयिक प्रकाशन भी निकाले । चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (आईटेक) के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण विशेष कार्यक्रम राष्ट्रकुल अफ्रीकी सहायता योजना (स्काप) कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ।

शिक्षा

1.37 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल, 2003 से फरवरी, 2004 के दौरान नेतृत्व विकास, औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंधों एवं व्यवसाय संघवाद तथा श्रम कल्याण विकास जैसे विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तर पर 8538 कार्यक्रम आयोजित किए तथा 265106 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया । असंगठित एवं ग्रामीण कामगारों, बाल श्रमिकों महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कामगारों के लिए विशेष कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए ।

दसवीं योजना संबंधी दृष्टिकोण

1.38 मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है । बाल श्रम, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण, कौशल उन्नयन एवं श्रम सांख्यिकी तथा अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा ।

1.39 पहले वर्ष 2001-2002 के दौरान शून्य आधारित बजट का अभ्यास किया गया था । इस अभ्यास के निष्कर्ष के रूप में, वर्ष 2001-2002 के दौरान चालू योजनागत स्कीमों की संख्या 142 से घटकर 101 रह गई थी, वर्ष 2003-3004 में उन स्कीमों सहित जिन्हें पहले योजना से गैर-योजना में अंतरित किए जाने का प्रस्ताव था, यह संख्या 2003-3004 में लगभग 94 और 2004-05 के दौरान 73 होगी । 10वीं योजना के दौरान इस मंत्रालय का कुल परिव्यय 1500 करोड़ रुपए रखा गया है जो 9वीं योजना में 792 करोड़ रुपए की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2002-05 के दौरान श्रम मंत्रालय के लिए 181 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया जबकि 2003-04 के दौरान यह 170 करोड़ रुपए था ।

अंतराष्ट्रीय सहयोग

1.40 अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 91वां सत्र जिनेवा में 3-19 जून, 2003 तक आयोजित किया गया था । केन्द्रीय श्रम मंत्री डॉ साहिब सिंह के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों और कामगारों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों एवं तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार सहित अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए एक भारतीय त्रिपक्षीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया ।

1.41 शुरूआती सत्रों तथा तकनीकी समितियों में कार्य के मूल सिद्धांतों एवं अधिकारों के बारे में अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा के अनुवर्ती कार्रवाई के तहत वैश्विक रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास सिफारिशों, 1995 (सं.150) के संशोधन, रोजगार संबंधता क्षेत्र व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानकों से संबंधित क्रियाकलापों और नाविक पहचान की उन्नत सुरक्षा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए।

1.42 श्रम मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यनीति के एक आवश्यक घटक के रूप में अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के संरक्षण के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निधि स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि गरीब देशों की बड़े पैमाने पर कौशल प्रशिक्षण कार्यकलापों को चलाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने में मदद की जा सके । इस वर्ष वैश्विक रिपोर्ट “टाइम फार इक्वैलिटी ऐट वर्क” विषय पर थी । गरीबी और भेद-भाव के बीच विभेद और ठोस सह-संबंध के समाप्त करने के लिए कार्य स्थल के प्रविष्टि बिन्दु के रूप में उल्लेख करते हुए, भारत ने गरीबी के दुश्चक्र और अत्यधिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए गरीबी कम करने की एक व्यावहारिक रणनीति अपनाने के महत्व पर बल दिया । इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर श्रमिक के मुक्त आवागमन की जरूरत है और इस बात के दोहराया कि अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन सेवाओं के क्षेत्र में वैश्वीकरण एवं बाजार पहुँच के एक आवश्यक घटक के रूप में उदारीकरण पर अधिक जोर दे ।

1.43 भारत ने एशिया प्रशांत समूह के समन्वय कार्य को कोरिया गणराज्य से अपने हाथ मे ले लिया । इसकी मुख्य कार्यसूची शासी निकाय (जून, 2002-जून,2004) की अध्यक्षता के लिए किसी देश के सरकारी प्रतिनिधि को आम सहमति से नामित करना था और इस समूह के समन्वयक के रूप में डॉ पी.डी. शेनॉय, केन्द्रीय श्रम सचिव द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के पश्चात् ही कोरिया गणराज्य के पहल में आम राय बनी । अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 287वां सत्र सम्मेलन के समाप्त होने के तत्काल पश्चात् 20.06.2003 को एक दिन के लिए आयोजित किया गया । महामहिम श्री यू-याँग चुग को आम राय से वर्ष 2003 से जून, 2004 तक के लिए अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया ।

1.44 शासी निकाय का 288 वां सत्र 6-21 नवम्बर 2003 तक आयोजित किया गया ।

रोजगार एवं प्रशिक्षण

1.45 उदारीकरण और वैश्वीकरण ने आर्थिक परिदृश्य और श्रम बाजार में मांग को बदल दिया है । उच्च गुणवत्ता वाले कौशलयुक्त श्रम बल को प्रमुखता मिली है क्योंकि उत्पादकता को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जा रहा है जो श्रम बल के पास उपलब्ध

कौशल से प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होती है । सभी पणधारियों द्वारा कौशल विकास और प्रशिक्षण में निवेश और प्रशिक्षण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि श्रम बल को रोजगार मिल सकाने वाले कौशल से लैस किया जा सके ।

1.46 सरकार ने देश में वैश्वीकरण का लाभ लाने के लिए कौशलयुक्त श्रम बल के सृजन तथा कौशल उन्नयन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है । तद्नुसार, 9 पुराने हो चुके व्यवसायों को हटा दिया गया, 43 नए नया व्यवसाय शुरू किया गया है और शिल्पकार प्रशिक्षण में 42 ट्रेडों के पाठ्यक्रम संशोधित किए गए ।

1.47 वर्ष 2003-04 के दौरान, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य चालन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्न लागत समाधान के माध्यम से, प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश क्षमता 13530 के लक्ष्यित स्तर से बढ़कर 16949 कर दी गई है जो 25.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इसके अलावा, वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए क्रमशः 21984, 23678 और 27060 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे बुनियादी ढांचे में परिवर्तन अथवा नए पदों के सृजन किए बिना चार वर्षों में क्षमता दुगुनी हो जाएगी । यह विस्तार अतिरिक्त अल्पावधि पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने, शनिवार को कक्षाओं के चलाने और कुछ अतिथि सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि से संभव हुआ है ।

1.48 इन पहलों का मुख्य उद्देश्य अगले दस वर्षों के दौरान दस करोड़ नए रोजागार अवसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौशलयुक्त श्रम बल उपलब्ध कराना है । रोजगार के इन अवसरों से उत्पादकता बढ़ाने तथा कामकाजी व्यक्तियों के आय स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

1.49 देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सेवाएं 943 रोजगार कार्यालयों (विकलांगों के लिए 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित), विकलांगों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 22 कोचिंग-सह दिशानिर्देश केन्द्रों के माध्यम से मुहैया कराई जाती हैं । अधिसूचित रिक्तियों के लिए चयन हेतु विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने के साथ ही, रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जा रही अन्य महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और मार्ग-दर्शन करना है

विविध

1.50 माह अगस्त, 2003 के दौरान **"वन महोत्सव पखवाड़ा"** मनाया गया । श्रम मंत्रालय के भवन परिसर और श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया । विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि वन महोत्सव पखवाड़ा बहुत उत्साह के साथ मनाया गया और काफी संख्या में

वृक्षारोपण किया गया । समाचार-पत्रों में भी वन महोत्वसव के बारे में उल्लेख किया गया ।

- मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सितम्बर, 2003 को हिंदी माह के रूप में मनाया गया । इस अवसर पर प्रतियोगिताएं और वाद-विवाद आयोजित किए गए और अनेक प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

- मंत्रालय में कर्मचारियों के बीच "योग" के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, श्रम मंत्रालय के कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नेक कार्यक्रम 29.10.2003 से प्रारम्भ किया गया । महर्षि भगवती योग ध्यान केन्द्र नोयडा, गाजियाबाद के प्रशिक्षण योग शिक्षक कर्मचारियों को अपराह्न 1.00 बजे से 2.00 बजे के बीच योग तकनीकों एवं इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करते हैं । लाभभोगियों द्वारा इस कार्यक्रम में अत्यधिक उत्साह दिखाए जाने के कारण, यह नेक योजना उनको तरोताजा बनाने और आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक है ।